

न्यायालय: अपर सिविल जज(सी०डि०)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-18 एटा।

उपस्थित : तुषारिका सिंह उ० प्र० न्यायिक सेवा
जे.ओ.कोड यू० पी० 2561

14.03.2026

आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। अभियुक्त की ओर से अपना जुर्म स्वेच्छ से स्वीकार किया गया। अभियुक्त की स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा-34 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए, मु० ०-10/-रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड न्यायालय में जमा कर दिया गया है। अब कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(तुषारिका सिंह)
अपर सिविल जज(सी०डि०)/
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं०-18 एटा।